

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, लक्सर, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लक्सर, हरिद्वार के माह 05/2012 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.09.2017 से 23.09.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: तहसील, लक्सर, हरिद्वार
- (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	217.55	195.62	3.74	3.51	-	-
2013-14	-	-	265.45	222.05	8.35	8.10	-	-
2014-15	-	-	319.36	281.54	6.50	6.1	-	-
2015-16	-	-	352.50	313.43	25.85	25.11	-	-
2016-17	-	-	405.25	316.35	10.68	10.29	-	-
2017-18 (07/17 तक)	-	-	267.66	161.51	2.68	0.94	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: शून्य

इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

- (iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, लक्सर, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015, 03/2016, 03/2017 एवं 07/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।
- (iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-॥ 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 ₹ 18000 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या: 710/दस-सं.वि.-नित-2-97, दिनांक 29 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लिए ₹ 500 व जीप के लिए ₹ 400 की) कटौती की जानी चाहिए एवं शासनादेश संख्या: 84/XXVII(7)50(06)/2017, दिनांक 07 जून, 2017 के अनुसार मई, 2017 से ₹ 2000 की कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लक्सर, हरिद्वार के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की निम्न अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है

(धनराशि ₹ में)

अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि		कुल माह*अप्राप्त वसूली
		कब से	कब तक	
श्री गोपाल सिंह	तहसीलदार	08/16	04/17	09*400=₹3600
श्री गोपाल सिंह	तहसीलदार	05/17	08/17	04*2000=₹8000
श्री कौस्तुभ मिश्रा *	उपजिलाधिकारी	05/17	08/17	04*1600=₹6400
योग				₹ 18000

*श्री कौस्तुभ मिश्रा, उपजिलाधिकारी से माह मई से अगस्त, 2017 में ₹400 की कटौती की गई, जबकि ₹ 2000 की कटौती की जानी चाहिए थी। अतः ₹1600 की प्रतिमाह अतिरिक्त कटौती की जानी चाहिए थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि प्रकाश में लाई गई कटौती संबंधित अधिकारियों से करने के उपरान्त लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-॥ 'ब'

प्रस्तर-02 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि ₹ 320.00 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लक्सर, हरिद्वार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक आर0सी0 की वसूली धनराशि ₹ 320.00 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि
2012-13 तक	14.73
2013-14 तक	27.18
2014-15 तक	190.19
2015-16 तक	26.97
2016-17 तक	320.00

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि बकायेदारों से वसूली एक निरन्तर प्रक्रिया है अतः अवशेष वसूली पूर्ण किये जाने पर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अन्दर की आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01- गलत संस्तुति किये जाने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न किये जाने के कारण रू 1.54 लाख का अनियमित वितरण।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के शासनादेश सं0 32-7/2014 NDM-1 (आपदा प्रबंधन प्रभाग) दिनांक 08.04.2014 के निर्देशों के अनुसार यदि आपदा में क्षतिग्रस्त भवन के मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत हेतु प्रस्तावित किया जाता है, तो भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त दिशा- निर्देश 01 अप्रैल 2015 से प्रभावी है।

उपजिलाधिकारी लक्सर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 (अगस्त 2017 तक) आपदा में क्षतिग्रस्त 32 भवनों की मरम्मत/ पुर्ननिर्माण हेतु रू 1.54 का वितरण किया गया, किन्तु सभी प्रकरणों में आर. के. द्वारा गलत संस्तुति की गयी क्योंकि किसी भी भवन का अधिकृत निर्माण होने से पूर्व राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, लक्सर, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:- शून्य
2. सतत् अनियमितताएं: शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री मायादत्त जोशी	उपजिलाधिकारी	03.06.2012	07.08.2012
2.	मो० नासिर	उपजिलाधिकारी	07.08.2012	23.07.2013
3.	श्री उत्तम सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	24.07.2013	29.01.2014
4.	श्री मायादत्त जोशी	उपजिलाधिकारी	29.01.2014	01.09.2014
5.	श्री मंगेश घिल्डियाल	संयुक्त मजिस्ट्रेट	01.09.2014	29.06.2015
6.	श्री प्रत्यूष सिंह	प्र० उपजिलाधिकारी	30.06.2015	02.09.2015
7.	मो० नासिर	उपजिलाधिकारी	03.09.2015	25.02.2016
8.	श्री किशन सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	26.02.2016	26.09.2016
9.	श्री कौस्तुभ मिश्रा	उपजिलाधिकारी	26.09.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, लक्सर, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जायं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र